GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF CHEMICALS & FERTILIZERS
DEPARTMENT OF FERTILIZERS

LOK SABHA

UNSTARRED QUESTION **NO. 3795** TO BE ANSWERED ON: **25.03.2022**

Regulation of Fertilizer Pricing

3795: SHRI ASADUDDIN OWAISI:

Will the Minister of **CHEMICALS AND FERTILIZERS** be pleased to state:

(a) whether a regulatory body is proposed to be set up to control pricing, supply and import of fertilizers and also to appoint fertilizer Inspectors with sweeping powers and if so, the details thereof;
(b) whether Inspector Raj is likely to ring back to this effect;
(c) if so, whether the Government propose to bring forward a bill in this regard; and
(d) If so, the provisions likely to be made in the Bill for fertilizer control and supply of hassle free and cheap fertilizers to farmers in the coming years?

ANSWER

MINISTER OF STATE FOR CHEMICALS & FERTILIZERS
(SHRI BHAGWANTH KHUBA)

(a) to (d): Department of Fertilizers is in the process of formulating a Bill to promote balanced use of fertilizers that sustain India's food and nutritional security without causing adverse impact on the environment and soil health. The Bill is intended to promote ease of doing business through simplification of the existing fertiliser regulation processes.

The Bill envisages promoting research and innovations in indigenous fertilizer sector as a part of India's mission of Atma Nirbhar Bharat. Farmers' awareness generation and capacity building of farmers towards Integrated Crop Nutrient Management too are integral part of the Bill. A Central Umbrella Body is proposed to be set up for multifarious activities related to fertilizers.

At present, the Bill is under pre- legislative consultation process.

*****

भारत सरकार

रसायन और उर्वरक मंत्रालय

उर्वरक विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या **3795**

जिसका उत्तर शुक्रवार, 25 मार्च, 2022/4 चैत्र, 1944 (शक) को दिया जाना है।

उर्वरक मूल्य का निर्धारण

3795. श्री असादुद्दीन ओवैसी:

क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उर्वरकों के मूल्य निर्धारण, आपूर्ति और आयात को नियंत्रित करने और व्यापक शक्तियों के साथ उर्वरक निरीक्षकों को नियुक्त करने के लिए एक नियामक निकाय स्थापित करने का प्रस्ताव है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या निरीक्षक राज की इस स्थिति में वापस आने की संभावना है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का इस संबंध में कोई विधेयक लाने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो आने वाले वर्षों में उर्वरक नियंत्रण और किसानों को बिना किसी परेशानी के और सस्ते उर्वरकों की आपूर्ति के लिए विधेयक में क्या प्रावधान किए जाने की संभावना है?

उत्तर

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री

(भगवंत खुबा)

(क) से (घ): उर्वरक विभाग उर्वरकों के संतुलित प्रयोग, जो पर्यावरण एवं मृदा स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना भारत की खाद्य एवं पोषण सुरक्षा को सतत बनाए, को बढ़ावा देने हेतु एक विधेयक तैयार कर रहा है। इस विधेयक की मंशा मौजूदा उर्वरक विनियमन प्रक्रियाओं के सरलीकरण के जरिये व्यावसायिक सहूलियत को बढ़ावा देना है।

विधेयक में भारत के आत्मनिर्भर भारत मिशन के एक अंग के रूप में स्वदेशी यूरिया क्षेत्र में अनुसंधान एवं नवोन्मेष को बढ़ावा देने की परिकल्पना की गई है। एकीकृत फसल पोषकतत्व प्रबंधन के प्रति किसानों में जागरूकता पैदा करना तथा किसानों का क्षमता निर्माण भी इस विधेयक का अभिन्न अंग है। उर्वरकों के संबंध में बहुआयामी कार्यकलापों के लिए एक केंद्रीय समन्वयक निकाय गठित किए जाने का प्रस्ताव है।

फिलहाल, यह विधेयक विधान-पूर्व परामर्श प्रक्रिया के अधीन है।

*****